



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-264003
CG-DL-E-20062025-264003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 441]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

फा.सं.1-सीए (7)/228/2025.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 27 मई, 2025 से खम्मम शहर (तेलंगाना) में दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की खम्मम शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय खम्मम शहर (तेलंगाना) में अवस्थित होगा। शाखा के अधिकार क्षेत्र में खम्मम शहर के अतिरिक्त, खम्मम शहर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर शामिल होंगे :—

1. मदीरा
2. वायरा
3. सत्थपल्ली

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./174/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATIONNew Delhi, the 6th June, 2025

F.No. 1-CA (7)/228/2025.—In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Southern India Regional Council in Khammam city (Telangana) with effect from May 27, 2025.

The Branch shall be known as Khammam Branch of Southern India Regional Council and its Headquarters shall be Khammam city (Telangana). The Jurisdiction of the Branch shall besides Khammam city, include the following cities/towns falling within a distance of 50 kms from the city limits of Khammam: -

1. Madira
2. Wyra
3. Satthpalli

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[Advt.-III/4/Exy./174/2025-26]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

फा.सं.1-सीए (7)/229/2025.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 27 मई, 2025 से निजामाबाद शहर (तेलंगाना) में दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की निजामाबाद शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय निजामाबाद शहर (तेलंगाना) में अवस्थित होगा। शाखा के अधिकार क्षेत्र में निजामाबाद शहर के अतिरिक्त, निजामाबाद शहर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर शामिल होंगे :--

1. अरमूर
2. बोधन

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./174/2025-26]

NOTIFICATIONNew Delhi, the 6th June, 2025

F.No. 1-CA (7)/229/2025.—In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Southern India Regional Council in Nizamabad city (Telangana) with effect from May 27, 2025.

The Branch shall be known as Nizamabad Branch of Southern India Regional Council and its Headquarters shall be Nizamabad city (Telangana). The Jurisdiction of the Branch shall besides Nizamabad city, include the following cities/towns falling within a distance of 50 kms from the city limits of Nizamabad: -

1. Armoor
2. Bodhan

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[Advt.-III/4/Exy./174/2025-26]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

फा.सं.1-सीए (7)/230/2025.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 1.सीए (7)/(94)/2006, तारीख 27 सितंबर, 2006 के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन 8 सितंबर, 2006 से बेल्लारी में दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना की थी।

अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद् यह अधिसूचित करती है कि होसपेटे आईसीएआई की एसआईआरसी की बेल्लारी शाखा की अधिकारिता से पृथक् हो जाएगा।

आईसीएआई की सीआईआरसी की बेल्लारी शाखा की अधिकारिता से होसपेटे (कर्नाटक) को पृथक् करने की प्रभावी तारीख 27 मई, 2025 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./174/2025-26]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

F.No. 1-CA (7)/230/2025.—Whereas the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 1.CA.(7)/(94)2006 dated 27th September 2006 w.e.f 8th September 2006 had set up a Branch of Southern India Regional Council at Ballari under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify the detachment of Hosapete from the Jurisdiction of Ballari Branch of SIRC of ICAI.

The effective date of detachment of Hosapete (Karnataka) from the Jurisdiction of Ballari Branch of SIRC of ICAI will be May 27, 2025.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[Advt.-III/4/Exy./174/2025-26]